







## जनप्रतिनिधियों व कर्मियों को आपदा से बचने के दिए गए प्रशिक्षण

♦ आपदा प्रशिक्षण  
जागरूकता कार्यक्रम  
को निलाधिकारी ने  
किया संबोधित

केटी न्यूज़/बलिया

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बलिया के द्वारा आपदा प्रबंधन जन जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन मंगा बहुरंग बलिया सभागार कलेक्टर, बलिया में किया गया। इस कार्यक्रम का निलाधिकारी रविंद्र कुमार ने देवी सरस्वती की प्रतीमा पर माल्यार्पण और पुण्यांजलि अर्पित कर दिए प्रज्ञानेत किया। जिलाधिकारी

की उपस्थिति में आपदा से बचाव संबंधी बोडियों किलप्र प्रदर्शित किया गया। रीवा कंपनी के सीएसआर फंड से जनपद के 50 आपदा मित्र बालींग्यर्स को सोलर पैनल और टैबलेट दिया जाना था, जिसमें से मैके पर 20 लोगों को यह उपहार दिया गया। इस कार्यक्रम में मास्टरट्रेनरों के माध्यम से ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों एवं सचिवों, राजस्व कानूनीयों एवं लेखपालों को आपदा से बचाव हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिये जाएंगे। इस अवसर पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि शासन स्तर से लोगों में जागरूकता के लिए यह आदेश जारी किया गया।



है। कहा कि विभिन्न मौसम में लू एवं हित वेब, बरसात के दिनों विभिन्न प्रकार की दैवीय आपदा संबंधी जागरूकता के लिए यह आदेश जारी किया गया।

### खबरें फटाफट

एक ही रात दो जगहों  
से दो भैंस चोरी

मऊ। चिरेयाकोट शान क्षेत्र के दो जगहों से बुधवार की रात की लगभग डंडल लाख रुपए कीमत की दो भैंस को अज्ञात घोरों ने चुरा लिया। प्रास जानकारी के अनुसार यानी शान क्षेत्र के ग्राम सिसांग एवं मनीषीत में बुधवार की रात की दो भैंस सुरा ली गयी। जिनकी कीमत लगभग डंडल लाख रुपए बतायी जा रही है। उनमें से एक भैंस चिरेयान घाव पुर वारिम घाव द्वारा ग्राम सिसांग की थी। जो उनके घर में बाधे गये तीन पशुओं से सिर्फ भैंस को ही अज्ञात घोरों ने चुरा लिया। वहीं ग्राम मनीषीत के निवासी विनोद यादाव पुर रामवृक्ष यादाव की भैंस भी घर में बाधी हुई थी। जिसे अज्ञात घोरों ने रात के समय ही उठा लिया। जो उगभा 50 लाख रुपए की दी दोनों भैंस मालियों को बताया कि सुरुह जापने के घाव पाया लिया। सुचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घावों को अस्पताल में भर्ती कराया। जहां विकिस्कों से दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतक को कानूनीय घटना के समय एक वैवाहिक कार्यक्रम से शिरकत कर वापस घर लौट रहे थे। पुलिस ने दोनों घावों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्ट के लिए भेजा गया।

### भीटी ओवरब्रिज के आगे मऊ सेलफी प्लाइंट के पास हुई घटना

## पिकअप ने बाइक सवार को रौंदा, दो की मौत

♦ बाइक सवार एक वैवाहिक समारोह में शमिल होकर लौट रहे थे अपने घर

केटी न्यूज़/मऊ

शहर कोतवाली क्षेत्र के भीटी ओवरब्रिज के आगे मऊ सेलफी प्लाइंट के पास पिकअप ने बाइक में सामने से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चला हो गया। सुचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घावों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्ट के लिए भेजा। जिसके चलावे पक्का मकान सुलानपुर गांव स्थित गायबाजार में दोनों घावों को बाइक कार्यक्रम में अपने साथ लेकर गया। दो दौरान घेवार घर आ रहे थे। दौरान वैवाहिक कार्यक्रम के दरवाजे के पास खड़े होने वाले को आपदा से बचाव कर रहे थे। उन्होंने घर आ रहे घावों को बाइक कार्यक्रम के अंदर धूमप्राण कर रहे लोगों को भी गिरफ्तार कर किया। उक्त मामले में बचाव पक्ष की ओर से विरिटर डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन के महामंत्री अधिकारी ज्ञानेय सिंह ने तथ्य एवं तर्क प्रस्तुत किया। विदित हो कि दो दीवानों द्वारा दीवानों को 25-25 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधूपत्र एवं समृद्ध यादी की दो-दो प्रतिवर्ष पर जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया है। उक्त मामले में बचाव पक्ष की ओर से विरिटर डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन के महामंत्री अधिकारी ज्ञानेय सिंह ने तथ्य एवं तर्क प्रस्तुत किया। विदित हो कि दो दीवानों द्वारा दीवानों को 25-25 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधूपत्र एवं समृद्ध यादी की दो-दो प्रतिवर्ष पर जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया है। उक्त मामले में बचाव पक्ष की ओर से विरिटर डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन के महामंत्री अधिकारी ज्ञानेय सिंह ने तथ्य एवं तर्क प्रस्तुत किया। विदित हो कि दो दीवानों द्वारा दीवानों को 25-25 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधूपत्र एवं समृद्ध यादी की दो-दो प्रतिवर्ष पर जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया है। उक्त मामले में बचाव पक्ष की ओर से विरिटर डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन के महामंत्री अधिकारी ज्ञानेय सिंह ने तथ्य एवं तर्क प्रस्तुत किया। विदित हो कि दो दीवानों द्वारा दीवानों को 25-25 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधूपत्र एवं समृद्ध यादी की दो-दो प्रतिवर्ष पर जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया है। उक्त मामले में बचाव पक्ष की ओर से विरिटर डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन के महामंत्री अधिकारी ज्ञानेय सिंह ने तथ्य एवं तर्क प्रस्तुत किया। विदित हो कि दो दीवानों द्वारा दीवानों को 25-25 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधूपत्र एवं समृद्ध यादी की दो-दो प्रतिवर्ष पर जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया है। उक्त मामले में बचाव पक्ष की ओर से विरिटर डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन के महामंत्री अधिकारी ज्ञानेय सिंह ने तथ्य एवं तर्क प्रस्तुत किया। विदित हो कि दो दीवानों द्वारा दीवानों को 25-25 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधूपत्र एवं समृद्ध यादी की दो-दो प्रतिवर्ष पर जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया है। उक्त मामले में बचाव पक्ष की ओर से विरिटर डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन के महामंत्री अधिकारी ज्ञानेय सिंह ने तथ्य एवं तर्क प्रस्तुत किया। विदित हो कि दो दीवानों द्वारा दीवानों को 25-25 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधूपत्र एवं समृद्ध यादी की दो-दो प्रतिवर्ष पर जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया है। उक्त मामले में बचाव पक्ष की ओर से विरिटर डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन के महामंत्री अधिकारी ज्ञानेय सिंह ने तथ्य एवं तर्क प्रस्तुत किया। विदित हो कि दो दीवानों द्वारा दीवानों को 25-25 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधूपत्र एवं समृद्ध यादी की दो-दो प्रतिवर्ष पर जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया है। उक्त मामले में बचाव पक्ष की ओर से विरिटर डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन के महामंत्री अधिकारी ज्ञानेय सिंह ने तथ्य एवं तर्क प्रस्तुत किया। विदित हो कि दो दीवानों द्वारा दीवानों को 25-25 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधूपत्र एवं समृद्ध यादी की दो-दो प्रतिवर्ष पर जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया है। उक्त मामले में बचाव पक्ष की ओर से विरिटर डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन के महामंत्री अधिकारी ज्ञानेय सिंह ने तथ्य एवं तर्क प्रस्तुत किया। विदित हो कि दो दीवानों द्वारा दीवानों को 25-25 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधूपत्र एवं समृद्ध यादी की दो-दो प्रतिवर्ष पर जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया है। उक्त मामले में बचाव पक्ष की ओर से विरिटर डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन के महामंत्री अधिकारी ज्ञानेय सिंह ने तथ्य एवं तर्क प्रस्तुत किया। विदित हो कि दो दीवानों द्वारा दीवानों को 25-25 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधूपत्र एवं समृद्ध यादी की दो-दो प्रतिवर्ष पर जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया है। उक्त मामले में बचाव पक्ष की ओर से विरिटर डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन के महामंत्री अधिकारी ज्ञानेय सिंह ने तथ्य एवं तर्क प्रस्तुत किया। विदित हो कि दो दीवानों द्वारा दीवानों को 25-25 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधूपत्र एवं समृद्ध यादी की दो-दो प्रतिवर्ष पर जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया है। उक्त मामले में बचाव पक्ष की ओर से विरिटर डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन के महामंत्री अधिकारी ज्ञानेय सिंह ने तथ्य एवं तर्क प्रस्तुत किया। विदित हो कि दो दीवानों द्वारा दीवानों को 25-25 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधूपत्र एवं समृद्ध यादी की दो-दो प्रतिवर्ष पर जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया है। उक्त मामले में बचाव पक्ष की ओर से विरिटर डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन के महामंत्री अधिकारी ज्ञानेय सिंह ने तथ्य एवं तर्क प्रस्तुत किया। विदित हो कि दो दीवानों द्वारा दीवानों को 25-25 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधूपत्र एवं समृद्ध यादी की दो-दो प्रतिवर्ष पर जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया है। उक्त मामले में बचाव पक्ष की ओर से विरिटर डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन के महामंत्री अधिकारी ज्ञानेय सिंह ने तथ्य एवं तर्क प्रस्तुत किया। विदित हो कि दो दीवानों द्वारा दीवानों को 25-25 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधूपत्र एवं समृद्ध यादी की दो-दो प्रतिवर्ष पर जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया है। उक्त मामले में बचाव पक्ष की ओर से विरिटर डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन के महामंत्री अधिकारी ज्ञानेय सिंह ने तथ्य एवं तर्क प्रस्तुत किया। विदित हो कि दो दीवानों द्वारा दीवानों को 25-25 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधूपत्र एवं समृद्ध यादी की दो-दो प्रतिवर्ष पर जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया है। उक्त मामले में बचाव पक्ष की ओर से विरिटर डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन के महामंत्री अधिकारी ज्ञानेय सिंह ने तथ्य एवं तर्क प्रस्तुत किया। विदित हो